

भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - 474006	 सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance Central Bureau of Narcotics 19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) - 6
(PBX) : (91) 751-2368996E-MAIL: narcom@bsnl.in		
F.No. II(3)/Estt/Insp. to Supdt/2023/-179-203		Dated: 24th January, 2024

Estt. Order No. 02/2024

As per the findings of the DPC for the year 2024 for promotion from Inspector to the post of Superintendent/DOO held in the office of Narcotics Commissioner on 15.01.2024, the following Inspector is hereby promoted to the post of Superintendent/DOO (Group 'B' Gazetted) in Level-8 of pay matrix Rs. 47,600 to 1, 51,100 with effect from the date they assume charge of the higher post.

S. No.	Name of the officer	Against the vacancy year
1.	Shri Ashutosh Kumar Jha	2024

1. The official should note that:

(a) If he does not accept the offer of promotion within 10 days of issue of order and fail to report for duty at his respective place, it will be considered as refusal of promotion and he shall be debarred for promotion to the grade of Superintendent/DOO, for a period of one year.

(b) His seniority will be reckoned on the basis of panel drawn by the above mentioned DPC for year 2024.


(c) He is required to submit within one month of promotion, his option of fixation of pay on promotion as per DoP&T's O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27th July 2017. However, where the officials have been granted benefit of financial upgradation under the ACP/MACP Scheme, their pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 9.8.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.5.2009 respectively.

2. The promotion, in the higher grade, in respect of the official shall take effect from the date he takes over the charge of higher post.

3. His regular posting will be decided in due course. Till then he shall assume the charge of the promotional post on in situ (as is where is) basis.

4. The above officer may join the new assignment immediately. A compliance report on the same should be sent to the undersigned immediately.

This issues with the approval of Narcotics Commissioner.



(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner


Shri.....

.....

.....

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The CCF, Govt. Opium and Alkaloid Factories, New Delhi.
2. The Dy. Narcotics Commissioner, CBN, Neemuch/Kota/Lucknow.
3. The General Manager, GOAW, Neemuch/Ghazipur
4. PS to the Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior.
5. PS to the DNC & PA to ANC, CBN, Gwalior
6. The Pay and Account Office, CBN, Gwalior
7. Superintendent, Opium/ Vig/ Prev/ Tech/ Prec./Narcotics/
Adm./Accounts & Pay Bill/ Estt./ Online/ Hindi, Hqrs. Gwalior.
8. Guard File/Website.



(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner



एफ.नं. II(3)/स्था/निरीक्षक. अधीक्षक/2023/-/79-203

दिनांक: 24 जनवरी, 2024

स्था. आदेश संख्या 02/2024

वर्ष 2024 के लिए नारकोटिक्स आयुक्त के कार्यालय में निरीक्षक से अधीक्षक/डीओओ के पद पर पदोन्नति हेतु डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, दिनांक 15.01.2024 को, निम्नलिखित निरीक्षक को वेतन मैट्रिक्स रु. 47,600 से 1,51,100 के स्तर-8 में अधीक्षक/डीओओ (समूह 'बी' राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत किया जाता है, जो उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।

क्रम सं	अधिकारी का नाम	रिक्ति वर्ष के विरुद्ध
1	श्री आशुतोष कुमार झा	2024

1. अधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि:

(क) यदि वह आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है और अपने संबंधित स्थान पर इयूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो इसे पदोन्नति से इनकार माना जाएगा और उसे अधीक्षक/डीओओ के ग्रेड में पदोन्नति के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।

(ख) उसकी वरिष्ठता की गणना वर्ष 2024 के लिए उपर्युक्त डीपीसी द्वारा तैयार किए गए पैनेल के आधार पर की जाएगी।

(ग) उसे पदोन्नति के एक महीने के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/02/2017-स्थापना के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। (वेतन-1) दिनांक 27 जुलाई 2017। हालाँकि, जहाँ अधिकारियों को एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है, उनका वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.8.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/1/97-स्था. (डी) के अनुलग्नक के पैरा 9 में निहित प्रावधानों के अनुसार और

एमएसीपी के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.5.2009 के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था. (डी) में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

4. अधिकारी के संबंध में उच्च ग्रेड में पदोन्नति, उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन वह उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करेगा।
5. उसकी नियमित पोस्टिंग का निर्णय यथासमय किया जाएगा। तब तक वह पदोन्नति वाले पद का कार्यभार यथावत (जैसा है जहाँ है) आधार पर ग्रहण करेगा।
4. उपरोक्त अधिकारी तत्काल अपना नया कार्यभार ग्रहण करें। इसकी अनुपालन रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को तत्काल भेजी जाए।

यह नारकोटिक्स आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(मनोज कुमार)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अवर आयुक्त, राजकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नई दिल्ली।
2. उप नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, नीमच/कोटा/लखनऊ।
3. महाप्रबंधक, जीओएडब्ल्यू, नीमच/गाजीपुर।
4. नारकोटिक्स आयुक्त के निजी सचिव, सीबीएन, ग्वालियर।
5. डीएनसी के निजी सचिव एवं एएनसी के निजी सचिव, सीबीएन, ग्वालियर
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीबीएन, ग्वालियर
7. अधीक्षक, अफीम/विग/प्रीव/टेक्निक/प्रीक./नारकोटिक्स/ प्रशासन/लेखा एवं वेतन बिल/स्थापना/ऑनलाइन/हिंदी, मुख्यालय, ग्वालियर।
8. गार्ड फाइल/वेबसाइट।



(मनोज कुमार)

सहायक नारकोटिक्स आयोग